फा.सं.28(1)/2017-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

94, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001,
दिनांक.18.09.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केअन्तर्गत आवेदन पत्र का स्थानान्तरण,

उप राष्ट्रपति सचिवालय के पत्र संख्या वी.पी.एस. 55/01- आर.टी .आई /71/2016/17 दिनांक 12.09.2017 द्वारा प्राप्त श्री दिनेश प्रसाद पुत्र स्व. छितेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट शिवपुर दीयर नयी बस्ती जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का आवेदन पत्र दिनांक. 28.08.2017 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 6(3) के तहत सूचना अवगत कराने हेतु स्थानान्तरण किया जा रहा है। कृपया उक्त आवेदन से संबंधित सूचना सीधा आवेदक को उपलब्ध करायें।

सलग्नः पत्र का छायाप्रति

(ए.बी.आचार्या)
अवर सचिव, भारत सरकार,
तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष:-01123034732

लोक सभा सचिवालय
श्री के सोना, उपसचिव,
संसद भवन एनेक्सी,
कमरा सं. FB074
नई दिल्ली

श्री अरुण शर्मा,
निदेशक (क्यू) और सीपीआईओ,
राज्यसभा सचिवालय,
कक्ष संख्या 007, भूमि तल,
संसद भवन एनेक्सी,
नई दिल्ली - 110 001

सभी मंत्रालय / विभाग, भारत सरकार

प्रतिलिपिः-
श्री दिनेश प्रसाद पुत्र स्व. छितेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट शिवपुर दीयर नयी बस्ती जिला बलिया, उत्तर प्रदेश (कृप्या राज्य सरकार तथा विधान सभा आदि से संबंधित सूचना के लिए संबंधित राज्यों के सूचना अधिकारियों से सम्पर्क करें।)

Signature valid

Digitally signed by [illegible]K
BEHARY ACHA[illegible]
Date: 2[illegible].09.1[illegible]:09:45 IST
Reason: [illegible]

फाइल संख्या बीपीएस-55/01-आरटीआई/71/2016-17

12 सितंबर, 2017

श्री धीरेन्द्र चौबे,
उप-सचिव/केन्द्रीय सूचना अधिकारी,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
कमरा सं. 92, संसद भवन
नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री दिनेश प्रसाद पुत्र स्व. छितेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट शिवपुर दीयर नयी बस्ती जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का 28.08.2017 का पत्र इस कार्यालय में 05.09.2017 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रूपये का नोट जिसका नं. 40G 462907 संलग्न कर राज्य सभा/लोक सभा से संबंधित विषयों की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय-वस्तु राज्य सभा सचिवालय से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हंस्तातरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

13/9/17
US(A)

R.No 21328/2017/Admn
18/9/2017

सेवा में - श्रीमान् प्रा० - राज्य [illegible]
जनसूचना अधिकारी महोदय भारत सरकार नई दिल्ली

विषय - जनसूचना अधिकार अधिनियम धारा 2005 (6)(3) के
सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में

महोदयजी (1) कृपया सम्बन्धित आवेदन के लिए
संलग्न प्रार्थना पत्र द्वारा प्राप्ति पर आपद्वारा जो भी
निर्णय लिया जा रहा है उसकी प्रतिलिपि से आवेदक
को सूचना प्राप्त करावे

(2) कृपया सम्बन्धित प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न द्वितीय
प्रति प्रार्थना पत्र जो तीन बिन्दु से वर्णित है उक्त
तीनो बिन्दु को निर्धारित बैठक में प्रस्ताव करना
जनहित में उचित है या नहीं

काड 10
पत्रां-462907

28/8/2017

प्रार्थी

[illegible] प्रसाद S/o स्व/ ईश्वर प्रसाद
ग्राम पोस्ट [illegible] पत्ती
जिला बलिया उ०प्र०

[illegible]

महोदय प्रधान सरकार [illegible]

उ० प्र० लखनऊ

<u>विषय</u> :- सम्बन्धित सदन पटल पर दिये जा रहे बिन्दुओं पर जनहित में विचार कर आप महोदय गण के सभा कार्यक्रम सर्व सम्मति से प्रस्ताव कर सार्वजनिक करने के सम्बन्ध में तथा कृत कार्यवाही की सूचना आवेदक को प्राप्त कराने के सम्बन्ध में :-

<u>महोदय द्वय जी</u> — सादर अनुरोध के साथ सर्वजनिक लाभ के लिए निम्नांकित बिन्दुओं का आप महोदय गण द्वारा प्रस्ताव पारित करते हुए जनमानस को लाभ सुविधा पूर्वक कराना उचित प्रतीत होता है जो इस प्रकार है।

बिन्दु (1) यह की राज्य निर्वाचन आयोग के आदि चुनावों से निर्वाचित होने वाला हर जनप्रतिनिधि के पद के गरिमा के साथ उसके निजि अपने क्षेत्र मे कमजोर असहाय तथा आकस्मीत आवश्यक सहयोग करने के लिए सांसद, विधायक, राज्यसभा आदि निधि के तौर पर ही सभी के पद के नाम निधि प्राप्त करने की व्यवस्था/ प्रस्ताव पारित किया जाय, ताकी गाँव मे गरीब परिवार के बेटीयो की सादी / बिमारी, आकस्मीत समस्याओं से निजात तत्काल ग्राम प्रधानो / क्षेत्र पंचायत सदस्यो / आदि "सदस्यो के साथ अन्य निर्वाचित निधि से लाभ तत्काल पहुचाया जा सके।

बिन्दु (2) यह कि लोकसभा सदन / विधान सभा सदन / राज्य सभा सदन के बैठक मे यदि भारत वर्ष की कोई भी मूल निवासी जो जन्म से भारतीय है अपनी तथा अपने क्षेत्र अथवा राज्य या देश के सुनहला, सुहावन विकास योजना अथवा जनहित की समस्याओं को स्वयं उपस्थित हो कर कहना चाहता है अथवा लिखीत प्रत्यावेदन से बताना चाहता है तो उसे ऐसा कानून / प्रस्ताव बनाया जाय कि उसकी उपस्थिति के लिए उसके भारतीय होने की जाँच करकर चालू सदन मे बैठने की नोटीस दिया जाय अथवा उसके प्रत्यावेदन जो लिखीत प्राप्त होता उस पर सर्व सम्मती से विचार विमर्श कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसे [illegible] प्रतिलिपि से सम्मान पूर्वक अवगत कराया जाय इत्यादि।

बिन्दु (3) यह की हिन्दुस्तान का किसी भी प्रान्त का कोई भी भारतीय यदि प्रश्नकर्ता लेखनी से राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार को किसी भी जनहित के कार्य प्रगती करने की जानकारी देता है और वह कार्य तब से सुरु हो कर पूर्ण होता है उस प्रगती कार्य के पूर्ण होने मे उस लिखित प्रत्यावेदन देने वाले का प्राथमिकता बनता है ऐसे मे उसे उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन द्वारा स्मृति चिन्ह तथा प्रोत्साहन धनराशि से प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव पारित किया जाय।

अतः! आप महोदय द्वय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सर्वजनिक लाभ के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>प्रार्थी</u> दिनेश प्रसाद [illegible]

ग्रा० पो० [illegible]